न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 15/2026 — दायर दिनाँक 16.01.2026

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. अमित चौहान पुत्र रमेश कुमार जाति नायक निवासी जगदम्बा कॉलोनी, सीकर जिला सीकर राजस्थान।	बनाम	1. चन्द्राराम पुत्र बोदू जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
2. सुगना देवी पत्नी हरदयाल जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन		2. राजूराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन
3. विनोद मेघवाल पुत्र पूरणराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन		3. रामी पुत्री बोदूराम जाति मेघवंशी निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन
4. धारूराम पुत्र पूरणराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन		4. हनमानाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना – कुचामन
		5. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53,188 R.T.Act.,

उपस्थितः–
1. श्री मनोहर वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.04.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा सरहद लादडिया के वर्तमान खेत खसरा संख्या 1092 रकबा 0.0500 है., खसरा संख्या 1094 रकबा 1.3800 है. व खसरा संख्या 1226 रकबा 1.2500 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **25.02.2026** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांकः राजस्व/2026/172 दिनाँक 02.04.2026 के [illegible] मौलासर द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसील[illegible] [illegible]र विभाजन करवाने हेतु सहमत पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्ष[illegible] [illegible]म प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार [illegible] पत्रांकः राजस्व/2026/[illegible] दिनाँक मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जा[illegible] आदेश 02.04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है [illegible] दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:49:12 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

–:: आदेश ::–

सरहद लादडिया के वर्तमान खेत खसरा संख्या 1092 रकबा 0.0500 है., खसरा संख्या 1094 रकबा 1.3800 है. व खसरा संख्या 1226 रकबा 1.2500 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः राजस्व/2026/172 दिनाँक 02.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांकः राजस्व/2026/172 दिनाँक 02.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 09.04.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:49:12 IST
Reason: SelfAttested